552

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (भू अभिलेख) अजमेर, जिला–अजमेर

क्रमांकः कअ/भू अभिलेख/17–18/127 दिनांकः 02/08/2018

–:: आदेश ::–

सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा–2015 का परिणाम घोषित करने के उपरान्त राजस्व मण्डल द्वारा अपने पत्रांक राम/भूअ/परीक्षा/प–279/2017/8367–399 दिनांक 30.07.2018 के द्वारा 04 अभ्यार्थियों को जिला अजमेर आवंटित करते हुए इन्हें नियुक्ति प्रदान किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। अतः पत्र की पालना में अजमेर जिले को आवंटित निम्नांकित अभ्यार्थियों को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्डस) रूल्स 1957 के नियम–4 एवं तत्पश्चात समय समय पर जारी अधिसूचना/निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत पटवार पद पर दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्त किया जाकर दिनांक 03.08.2018 तक अपनी उपस्थिति मूल दस्तावेज, मय पुलिस चरित्र सत्यापन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ जिला कार्यालय में प्रस्तुत की जावे। यह नियुक्तियॉ माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में विचाराधीन एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9454/2017 देवेन्द्र सिंह मेहता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा इस याचिका के साथ संलग्न अन्य याचिकाओं, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8402/2017 मनीष चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8454/ 2017 श्रवण स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8829/2017 ओम प्रकाश खावा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15538/2017 मोहिनी बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11711/2017 मनीष विश्नोई बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8263/2017 रोहिताश बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7870/2017 भोमाराम बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13151/2017 पूनम कंवर बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8110/2017 शंकरलाल डूडी बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18032/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16106/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17676/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18049/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13009/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13089/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13008/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या13090/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13011/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13007/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18326/2017, 10360/2017, 9735/2017, 10549/2017, 12009/2017, 11875/2017, 11874/2017, 11788/2017, 11878/2017, 11881/2017, 11877/2017, 11876/2017, 11879/2017, 8402/2017, 8413/2017, 8133/2017, 12552/2017, 12551/2017, 10690/2017, 11538/2017, 15109/2017, के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

परिवीक्षाकाल के दौरान राज्य सरकार की विज्ञप्ति क्रमांकः एफ–1(2) एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.3.2006 एवं वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांकः एफ–12 (6)एफडी/(रूल्स)/05 दिनांक 13.3.2006 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना सं. प.11 (7) वित्त (नियम) /2008 दिनांक 12.9.2008 द्वारा संशोधित वेतनमान लागू किये जाने एवं एफ–14(1)एफ.डी.(रूल्स) /2013–II जयपुर दिनांक 28.6.2013 व एफ–14(1)एफ.डी.(रूल्स)/2013 पीटी. जयपुर दिनांक 08.06.15 के द्वारा संशोधित वेतनमान लागू किये

जाने के फ़लस्वरूप नियत पारिश्रमिक (fixed remuneration) नियमानुसार प्रति माह की दर से देय होगा। परिवीक्षाधीन नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है, इन्हें पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये बिना किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.6.2001 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यार्थी जिसके दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान हो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, अन्य निर्देश जो नियमान्तर्गत है लागू होंगे।

कम . सं.	रोल नम्बर	चयनित वर्ग	नाम/पिता का नाम	जाति वर्ग	जन्म दिनांक
1	145514	GENF	सुमन कंवर/औम सिंह	GEN	25-Jan-1993
2	155518	DIVOB	बेअन्त कौर/गुरतेज सिंह	OBC	02-Mar-1993
3	112158	OBCM EX	महेन्द्र सिंह मिठरवाल/शिवचन्द मिठरवाल	OBC	15-Aug-1976
3	138134	GENM EX	मेघराज सिंह/दीपसिंह	GEN	10-Dec-1979

नोटः–

1. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 8(1)का/क–2/03 दिनांक 9.6.03 अनुसार नवनियुक्त पर लागू सिविल सेवा पेन्शन नियम लागू नहीं होने से वित्त विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांकः एफ–13(1)एफ.डी./रूल्स/2003 दिनांक 28.1.2004 के अनुसार अंशदायी पेन्शन योजना लागू होगी।
2. प्रशिक्षण सत्र की अवधि 06 माह की होगी तथा इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति नियत पारिश्रमिक नियमानुसार प्रतिमाह की दर से दिया जायेगा। सत्र की सम्पूर्ण अवधि में उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी।
3. प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने व दो वर्ष की परिवीक्षाकाल सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार पटवारी पद की सेवाऐं नियमिति करने की कार्यवाही की जावेगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाऐं नियमित नहीं की जायेगी।
4. प्रशिक्षणार्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 95200/– रू. का बन्ध पत्र स्वयं के हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा । परीक्षोपरान्त राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर आपको कम से कम तीन वर्ष सेवाऐं अर्पण करनी होगी अन्यथा आपके प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धन राशि राज्य सरकार को लौटानी होगी।
5. प्रशिक्षण अवधि में कोई यात्रा भत्तादि देय नहीं होगा।
6. अस्थाई प्रशिक्षण शाला में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर अभ्यार्थी को स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।
7. यह नियुक्तियॉं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस के सद्चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी।
8. उक्त निर्धारित दिनांक के पश्चात् राजस्व मण्डल द्वारा अनुमति दिये जाने की स्थिति में ही उपस्थिति स्वीकार की जा सकेगी।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

क्रमांकः कअ / भूअ / पट.परीक्षा / 2017 / 6885 - 6893 दिनांकः 02/08/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को उनके पत्रांक राम /भूअ /परीक्षा /प–279/2017/8367–399 दिनांक 30.07.2018 के क्रम में सूचनार्थ।
2. सचिव (भू अभिलेख), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
3. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर।
4. निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर को राजस्व मण्डल राजस्थान के पत्रांकः राम /भूअ /परीक्षा /प–279/ 2017/8367–399 दिनांक 30.07.2018 एवं उनके पत्रांकः प.3–1(13)(17)राअप्रशि / प्रशि / 2016 / 1301–33 दिनांक 30.7.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजमेर/अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि नियुक्त पटवारियों के उपस्थित होने पर उन्हें नियमानुसार उसी दिवस चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करवाने की व्यवस्था करावें।
6. ए.सी.पी. सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, कलेक्ट्रेट, अजमेर को जारी आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि आदेश को अजमेर जिले की वेब साईट पर आज ही डालने की व्यवस्था करें ताकि अभ्यार्थी वेब साईड से आदेश की प्रति प्राप्त कर सकें।
7. सम्बधित अभ्यार्थी श्री / श्रीमति / सुश्री...
8. निजी पत्रावली सम्बधित अभ्यार्थी श्री / श्रीमति / सुश्री...
9. आदेश पत्रावली ।

प्रभारी अधिकारी,
भू अभिलेख अनुभाग
कलेक्ट्रेट, अजमेर